

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: चि.प्रशा./2025/२७

दिनांक: 08/05/2025

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत निदेशालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम (0141-2225624, 0141-2225000) में संबंधित कार्य व्यवस्था हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की अग्रिम आदेशों तक ड्यूटी लागायी जाती है:-

1. डॉ० प्रवीण असवाल, अति० निदेशक (ग्रा०स्वा०), मुख्यालय प्रभारी कन्ट्रोल रूम - 9549896666
2. डॉ० जे०पी० बुनकर, परियोजना निदेशक (प०क०), मुख्यालय। - 9413954545
3. डॉ० विजय मित्तल, विधानसभा अनुभाग, मुख्यालय। - 9414240230
4. डॉ० दुर्गेश राय, उप निदेशक (वि.सभा), मुख्यालय। - 9810366549
5. डॉ० आनन्द भटनागर, कन्सलटेन्ट, एन.ओ.एच.पी, मुख्यालय। - 9414202833
6. श्री चैनरूप सोनी, कन्सलटेन्ट, एनवीबीडीसीपी, मुख्यालय। - 9414796848
7. श्री आलोक त्रिपाठी, कन्सलटेन्ट, एन.एम.एच.पी, मुख्यालय। - 9414825198
8. श्री अविनाश सिंह, डीईओ, आईडीएसपी, मुख्यालय। - 7877077738

उक्त अधिकारी बीकानेर एवं जोधपुर संभाग के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ यथा मानव संसाधन, ब्लड, दवा, जांच, उपकरण, ओ.टी., आईसीयू, एम्बुलेंस व अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे। कन्ट्रोल रूम प्रभारी डॉ० प्रवीण असवाल अपने स्तर से कन्ट्रोल रूम में लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से 24x7 संचालित करेंगे। उक्त कार्य में निदेशालय मुख्यालय में एमएनडीवाई/एमएनजेवाई/एम्बुलेंस/ब्लड/संस्थापन आदि से संबंधित अनुभाग के अधिकारियों द्वारा भी आपदा स्थिति से संबंधित विषय हेतु सुपरविजन/मॉनिटरिंग किया जावे।

आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)  
निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: 08/05/2025

क्रमांक: चि.प्रशा./2025/३३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
3. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
4. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
5. निदेशक (आरसीएच), मुख्यालय।
6. अति० निदेशक (चि.प्रशा./राजपत्रित/ग्रा० स्वा०/आरसीएच/प्लान) मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, एमएनडीवाई/एमएनजेवाई/एम्बुलेंस/ब्लड मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक, बीकानेर/जोधपुर जोन, राजस्थान।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
10. संबंधित अधिरियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
11. संबंधित जिला प्रभारी, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य की अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।